FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी डूंगला .... प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 ....

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट नं. 10 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तामील में जारी हुए
14.9.22	प्रार्थी श्री मांगीलाल पिता जयचन्द भील निवासी अगोरिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ने आवेदन पत्र के साथ राजस्व रेकार्ड एवं भूमि अवाप्ति अवार्ड आदेश की प्रतियां प्रस्तुत कर अवगत कराया की ग्राम नंगावली पटवार मण्डल नंगावली तहसील डूंगला के नकल जमाबन्दी समवत 2057–60 के खाता संख्या 296 मे वर्णित आराजी नम्बर 1871/7 रकबा 2 बिघा मे से 12 बिस्वा भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 2130 दिनांक 23.09.2003 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम अवाप्ति से भूमि अंकित की गई, जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया गया जो सही था, किन्तु पुनः जमाबन्दी रोटेशन समवत 2061–64 का लिखा गया जिसमें सहवन से लिपिकीय भूल से आराजी नम्बर 1871/7 रकबा 0.4000 है0 रकबा त्रुटि पूर्ण अंकित होगया जबकि आराजी नम्बर 1871/7 रकबा 0.3000 है0 अंकित होना चाहिये था। उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर 1871/7 के बजाय शुद्धि से आराजी नम्बर 3033/1871 रकबा 0.4000 है0 रकबा के बजाय 0.3000 है0 शुद्ध करने की अनुमति चाही गई हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजो के संबंध में तहसीलदार डूंगला से जांच रिपोर्ट प्राप्त कि गई तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2022/502 दिनांक 02.09.2022 के अनुसार ग्राम नंगावली की नकल जमाबन्दी सम्वत 2057–60 में श्री पेमा पिता मोती भील निवासी पालखेडी खातेदार के नाम दर्ज आराजी नम्बर 1871/7 रकबा 0.4300 है0 भूमि में से जरिये नामान्तकरण संख्या 2130 दिनांक 23.09.2003 के द्वारा भूमि अवाप्ति से 12 बिस्वा भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दर्ज होने के बाद 0.3000 है0 भूमि खातेदार के शेष रहती हैं। नवीन जमाबन्दी रोटेशन सम्वत 2061–64 लिखते वक्त आराजी नम्बर 1871/7 का रकबा 0.4000 हैक्टर पुनः दर्ज हो गया शुद्धि पत्र से आराजी नम्बर 1871/7 के बजाय बढता हुआ नया नम्बर 3033/1871 दर्ज हुआ जिसका वर्तमान रकबा 0.4000 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड हैं। मुल आराजी नम्बर 1871/7 रकबा 0.4300 है0 में से 12 बिस्वा [illegible] 0.1300 [illegible] के पश्चात शेष रकबा 0.3000 है0 [illegible] के नाम दर्ज होना चाहिये [illegible] 2061–64 में आ[illegible] भूमि लिपिकिय भूल [illegible] जमाबन्दी सम्वत 2077 वर्ष 2021 के खाता संख्या [illegible]05 मे वर्णित आराजी नम्बर 3033/1871 रकबा 0.4000 [illegible] के बजाय 0. 3000 है0 रकबा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित किया गया हैं। आराजी नम्बर 3033/1871 रकबा 0.3000 है0 भूमि अलग अलग खातेदारो से कय करलेने से प्रार्थी के नाम सम्पुर्ण रकबा दर्ज रिकार्ड हैं।	

उपखण्ड अधिकारी,
डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2022.10.18 16:38:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner